

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उ०प्र०) के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-8324/2024

दिनांक : अक्टूबर 05, 2024

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उ०प्र०), जो कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (क. 30 सन् 1983) के अन्तर्गत स्थापित है, के निदेशक की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा-12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंधित पैनल में से कुलाध्यक्ष के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।


निदेशक का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 65 (पैंसठ) वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए पदभार ग्रहण करेगा।

निदेशक को किसी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्था में आचार्य/सह आचार्य/उपाचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष अध्यापन के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, जिसमें कम से कम पांच वर्ष किसी विभाग में आचार्य के रूप में होना चाहिए। चिकित्सा राहत, चिकित्सा शोध, चिकित्सा शिक्षा अथवा लोक स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव और प्रशासनिक अनुभव और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा संस्था को इसके अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष के रूप में चलाने का पर्याप्त अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जा सकता है।

संस्थान में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान निदेशक का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त निदेशक द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

निदेशक पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 24.11.2024 (रविवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।